

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 44/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटेंशन/राआनि)

नई दिल्ली, 12 सितंबर, 2019

का.आ. (ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) का धारा 28(9) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निणयन के प्रयोजनाथ, जिनके लिए यथा उल्लेखित तालिका के स्तम्भ (4) में उल्लेखित समान न्याय निणयन प्राधिकारी पहले ही नियुक्त हो चुका है, तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित नोटिसियाँ के संबंध में शुल्क अथवा ब्याज निर्धारण के प्रयोजनाथ, एतद द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का धारा 28 का उप धारा (8) के तहत समायावधि दिनांक 18.09.2019 से एक वर्ष का अर्वाधि के लिए बढ़ाते हैं:-

तालिका

क्र.	विषय	विषय (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 धारा 28(9)(b) के अंतर्गत)	समान न्याय निणयन विषय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मै. लासन & टूब्रो लि., L&T बिज़नेस पार्क, TC-2 टावर B, 7वां तल, गेट सं. 5, पोवाई कैम्पस, सका विहार रोड, पोवाई, मुंबई-400072 और श्री जिग्नेश राठोड, सहायक प्रबन्धक-वित्त & लेखा, मै. लासन & टूब्रो लि.	फ़ा. सं. DRI/MZU/F/Int-44/2017 दिनांक 19.09.2018	अधिसूचना सं. 31/2019- सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.07.2019

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-4/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिर्लिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के दृष्टि से प्रो

1. (), राजस्व आसूचना निदेशालय- , 1962 का धारा 28 का उप धारा (8) , राजस्व आसूचना निदेशालय द